

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

दशम् सत्र

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025/12 मार्गशीर्ष, 1947(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री भवानी सिंह पठानिया, “to call the attention of the House for the delay in completion of PMGSY Phase-3 in District Kangra.”
- (2) श्री राकेश जम्वाल, “सुन्दरनगर में स्थित जवाहर पार्क में बाहरी व्यापारियों को मेला लगाने की मंजूरी देने के फैसले से स्थानीय व्यापारियों में रोष से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।”

3. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20)
- | | |
|---|---|
| { | कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। |
| | वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। |

(2) श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश दुकान और हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) } वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) } राज्य को यथा लागू भू-संपदा (विनयमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

4. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी।

“प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों” पर यह सदन विचार करे।

(2) श्री त्रिलोक जम्वाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों तथा नशे के बढ़ते नेटवर्क से उत्पन्न स्थिति” पर यह सदन विचार करे।

धर्मशाला-176215
दिनांक: 2 दिसम्बर, 2025

(यशपाल शर्मा)
सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, को भी जांच कर लें)